

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
—:—
::आदेश::

भोपाल, दिनांक 8/08/2012

क्रमांक 1576 /आर 1213/चार/ब-1/12, एतद्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद, एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 के तहत अधिरोपित मनोरंजन कर, एवं विलासिता कर, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मुख्य शीर्ष -0045 के अन्तर्गत लघुशीर्ष क्रमशः -101-एवं 105 में निहित हैं। ऐसी स्थिति में इन मदों को मुख्य शीर्ष 0023 के स्थान पर 0045 में वर्गीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0क0 1577 /आर 1213/चार/ब-1/12,

भोपाल, दिनांक 8/8/2012

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल ।
 2. महालेखाकार (ले/हक) प्रथम बुक-1, म0प्र0 ग्वालियर ।
 3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वाणिज्यिक कर विभाग ।
 4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर ।
 5. वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, मंत्रालय, भोपाल ।
 6. बजट शाखा-1, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अजय चौबे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग



मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 912/R/964/बी-1/चार,

भोपाल, दिनांक 04/06/2012

प्रति,

आयुक्त,
परिवहन,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर,

विषय— नेशनल कॉमन कैरिज अन्तर्गत प्राप्तियों हेतु नवीन मद खोले जाने के संबंध में।

संदर्भ — परिवहन आयुक्त का पृष्ठांकन क्रमांक 76 नीति/टीसी/2012 दिनांक 29/05/2012

परिवहन विभाग के तहत कॉमन कैरिज रजिस्ट्रेशन अन्तर्गत प्राप्त होने वाली आय जमा करने हेतु नवीन स्कीम कोड '1068'— नेशनल कॉमन कैरिज अन्तर्गत आय स्थापित किया जा रहा है!

उपरोक्तानुसार प्राप्तियों मुख्य लेखाशीर्ष '0041'—वाहनों पर कर के अन्तर्गत लघु शीर्ष '101'—भारतीय मोटरयान अधिनियम अंतर्गत प्राप्तियों में जमा की जावेंगी।

(अजय चौबे)

अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वित्त

भोपाल, दिनांक 04/06/2012

पृ. क्रमांक 913/R-964/बजट-1/चार
प्रतिलिपि —

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग
 2. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।
 3. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
 4. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव,

म.प्र. शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 851 /376/चार/ब-1/2008

भोपाल दिनांक 12 /05/2012

प्रति,


महालेखाकार,
मध्य प्रदेश,
लेखा एवं हकदारी, प्रथम
लेखा भवन, झांसी रोड,
ग्वालियर

विषय:- खनिज उपकर की राशि को कर राजस्व के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने के संबंध में।
संदर्भ - वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 24/376/चार/ब-1/2008 दिनांक 06/01/2012.

कृपया संदर्भित पत्र, जिसकी प्रति आपके कार्यालय को भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत खनिज उपकर से प्राप्त राशि वर्तमान में करेतर राजस्व से संबंधित विभागीय मुख्य लेखा शीर्ष 0853-अलौह खनिज तथा धातुकर्म उद्योग के स्थान पर राज्य के कर राजस्व से संबंधित लेखा शीर्ष 0045 -वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने संबंधी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया था।

2- वित्त विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार नवीन प्रस्तावित वर्गीकरण का पुनः परीक्षण कर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि खनिज उपकर से प्राप्त राजस्व को मुख्य लेखाशीर्ष 0045 के स्थान पर मुख्य लेखाशीर्ष '0035-कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर, 101-साधारण संग्रहण, 1021- ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर से संबंधित राशि' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाये।

3- अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के लेखों को अंतिम रूप दिये जाने के पूर्व खनिज उपकर की राशि को बिंदु क्रमांक-2 में उल्लेखित शीर्ष में वर्गीकृत किये जाने की कार्यवाही करें।



(मनीष रस्तोगी)
सचिव वित्त एवं आयुक्त, बजट
मध्य प्रदेश शासन

पृ क्रमांक 852/376/चार/ब-1/2008

भोपाल दिनांक १२/05/2012

प्रतिलिपि -

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(वीरेन्द्र कुमार)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

31-

7

क0 /आर 605/2012/ब-1/चार भोपाल, दिनांक /04/2012
प्रति,

आयुक्त,
परिवहन,
मोती महल, ग्वालियर
(म0प्र0)

विषय: उच्च सिक्यूरिटी पंजीयन पट्टिका अनुबंध के तहत प्राप्त होने वाले राजस्व हिस्से के लिये पृथक लेखा शीर्ष निर्धारित करने बाबत।

संदर्भ: आपका पत्र क0 337/आडिट/टीसी/2012, दिनांक 31.3.2012

--:-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि उच्च सिक्यूरिटी पंजीयन पट्टिका अनुबंध के तहत प्राप्त होने वाली आय को निम्नलिखित शीर्ष में जमा की जावे:-

"0075-विविध सामान्य सेवाएं-[800]-(1067)-उच्च सिक्यूरिटी पंजीयन पट्टिका से प्राप्तियाँ।"

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जमा होने वाले चालानों में मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष के साथ-साथ योजना शीर्ष (1067) अवश्य अंकित किया जावे।

sd.
(वीरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0क0⁶⁵⁵ /आर 605/2012/ब-1/चार भोपाल, दिनांक 03/04/2012
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय।
 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, ग्वालियर म0प्र0।
 3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक ५१ /376/चार/ब-1/2008

भोपाल दिनांक 06/01/2012

प्रति,

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश
- 3- समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्य प्रदेश
- 4- आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 5- आयुक्त संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 6- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

विषय:- व्यय की विभिन्न मदों के वर्गीकरण में संशोधन/परिवर्तन।

विभिन्न मदों के अन्तर्गत हो रहे व्ययों के वर्गीकरण को और अधिक सुस्पष्ट किये जाने के उद्देश्य से वर्गीकरण की वर्तमान व्यवस्था में राज्य शासन द्वारा निम्न मदों के वर्गीकरण में आंशिक संशोधन किया जा रहा है-

1- वर्तमान में नवीन मद अन्तर्गत वाहन का क्रय/प्रतिस्थापन को उद्देश्य 23-वाहन क्रय के अन्तर्गत बगैर विस्तृत शीर्ष के वर्गीकृत किया जा रहा है। संशोधित व्यवस्था अन्तर्गत वाहन क्रय का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा -

उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	वर्गीकरण का विवरण
23-वाहन क्रय	001-नवीन वाहन का क्रय	इसके अन्तर्गत नवीन मद के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले वाहनों पर होने वाल व्यय वर्गीकृत किया जायेगा
23-वाहन क्रय	002-वाहन का प्रतिस्थापन	इसके अन्तर्गत अनुपयोगी घोषित होकर अपल्लेखित किये जा रहे वाहनों के एवज में क्रय किये जा रहे वाहनों पर होने वाले व्यय को वर्गीकृत किया जायेगा


2- वर्तमान में फर्नीचर तथा उपकरण के क्रय/फर्नीचर की मरम्मत को उद्देश्य शीर्ष 22-कार्यालय व्यय के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष 003-फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरणों में वर्गीकृत किया जा रहा है। संशोधित व्यवस्था अन्तर्गत वर्गीकरण निम्नानुसार होगा -

उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	वर्गीकरण का विवरण
22-कार्यालय व्यय	003-कार्यालय फर्नीचर का क्रय	कार्यालय फर्नीचर के क्रय (नवीन/प्रतिस्थापन) पर होने वाला व्यय इस शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जायेगा (फर्नीचर की मरम्मत /अनुरक्षण पर होने वाले व्यय को छोड़कर)
22-कार्यालय व्यय	013-कार्यालय उपकरणों का क्रय	इसके अन्तर्गत कार्यालय उपकरणों एवं कम्प्यूटर उपकरणों के क्रय पर होने वाले व्यय वर्गीकृत किया जायेगा
33-अनुरक्षण	006-फर्नीचर अनुरक्षण	कार्यालय फर्नीचर की मरम्मत /अनुरक्षण पर होने वाले व्यय इस शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जायेंगे

3- रंगराजन समिति की सिफारिश अनुसार पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत व्यय के रूप में भुगतान की जाने वाली एन्यूटी (annuity) को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जायेगा -

उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	वर्गीकरण का विवरण
68-एन्यूटी	001-एन्यूटी (पूँजीगत)	इस शीर्ष में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय भुगतान पर हुई एन्यूटी वर्गीकृत का जायेगा
68-एन्यूटी	002-एन्यूटी (राजस्व/संधारण)	इस शीर्ष में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत राजस्व व्यय के रूप में संधारण हेतु भुगतान की गई एन्यूटी वर्गीकृत की जायेगी


उपरोक्त संशोधित वर्गीकरण की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2012-13 से लागू होगी अतः विभागों द्वारा वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु प्रेषित बजट प्रस्तावों उपरोक्तानुसार संशोधन/परिवर्तन की जानकारी (यदि कोई हो तो) अविलंब प्रेषित की जाये।


(अमित राठौर)
संचालक, बजट
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ क्रमांक २९ /376/चार/ब-1/2008
प्रतिर्लिपि-

भोपाल दिनांक 06/01/2012

- 1- महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर,
 - 2- समस्त अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 - 3-स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
 - 4- निज सचि, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 - 5- समस्त बजट शाखाएँ, वित्त विभाग,
 - 6- वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, वल्लभ भवन, भोपाल
 - 7-समस्त वित्तीय सलाहकार, विभागाध्यक्ष कार्यालय, मध्य प्रदेश
 - 8-समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(वीरेन्द्र कुमार)

अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग



मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1376/चार/ब-1/2008

भोपाल दिनांक 06/01/2012

प्रति,

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

विषय:- खनिज उपकर की राशि को कर राजस्व के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने के संबंध में।

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत खनिज उपकर से प्राप्त राशि वर्तमान में करेतर राजस्व से संबंधित विभागीय मुख्य लेखा शीर्ष 0853- अलाह खनिज तथा धातुकर्म उद्योग, 104 खान विभाग के योजना शीर्ष, 1021- ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर से संबंधित राशि के अन्तर्गत जमा/वर्गीकृत हो रही है।

2- राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य निर्धारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 08/11/2011 में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्राप्ति को कर राजस्व के रूप में प्राप्त हो रही है, अतः यह राशि राज्य के कर राजस्व से संबंधित मुख्य लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत की जाये।

3- उपरोक्त निर्णय के पारंप्रक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2011-12 से उपरोक्त प्राप्ति को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाना है -

लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण
मुख्य लेखा शीर्ष	0853-अलाह खनिज तथा धातुकर्म उद्योग	0045 - वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क
योजना शीर्ष	104 खान विभाग	112 - अन्य अधिनियमों अन्तर्गत उपकर से प्राप्त राशियाँ
योजना शीर्ष	1021- ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर से संबंधित राशि	1021-ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर से संबंधित राशि

4. उपरोक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही भी की जानी होगी -

- (1). मध्य प्रदेश ग्रामीण असंरचना एवं सामाजिक विकास नियम, 2005 के नियम 14 (2) को यथासंशोधित कराये जाने की कार्यवाही
- (2). वित्तीय वर्ष 2011-12 में उक्त मद से प्राप्त अब तक की ससम्त प्राप्तियाँ, जो महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा करेतर राजस्व के अन्तर्गत वर्गीकृत की जा चुकी हैं, को कर राजस्व के संशोधित लेखाशीर्ष में अन्तरित कराये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही।
- (3). वित्तीय वर्ष 2011-12 के पुनरीक्षित अनुमानों एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही।
- (4). समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश दिया जाना।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रयास करें।


(अभिनव राठौर)

संचालक, बजट


मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल दिनांक 06/01/2012

पृ क्रमांक 23 /376/चार/ब-1/2008

प्रतिलिपि-

- 1- महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर,
 - 2-आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश, भोपाल
 - 3-स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
 - 4-निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 - 5- वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल
 - 6-समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये।


(वीरेन्द्र कुमार)

अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
वित्त विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2010

1054

क्रमांक/925/आर 376 /चार/ब-1/2010 राज्य शासन एतद् द्वारा उद्देश्य शीर्ष # 45 पूँजीगत परिसंपत्तियाँ निर्मित किये जाने हेतु अनुदान एवं उसके अंतर्गत निम्नानुसार विस्तृत शीर्ष स्थापित करता है -

45 - 001 पूँजीगत परिसंपत्तियाँ निर्मित किये जाने हेतु अनुदान

2. उद्देश्य शीर्ष # 42- सहायक अनुदान एवं उसके अन्तर्गत विस्तृत शीर्षों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है -

वर्तमान प्रावधान	प्रतिस्थापित प्रावधान
उद्देश्य शीर्ष # 42 सहायक अनुदान	उद्देश्य शीर्ष # 42 सहायता अनुदान सामान्य
# 42-001 अधोसंरचना अनुदान	विलोपित
# 42-002 संधारण अनुदान	# 42-002 वेतन, भत्ते, मानदेय आदि हेतु अनुदान
# 42-004 पोषण अनुदान	# 42-004 पोषण अनुदान (वेतन, भत्ते, मानदेय आदि को छोड़कर)

उद्देश्य शीर्ष # 42 के अन्तर्गत शेष विस्तृत शीर्ष पूर्ववत् रहेंगे।

उपरोक्त संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार :

(अमित राठौर)

संचालक बजट एवं अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग

1054

पु. क्रमांक 926/आर 376 /घर/व-1/2010 भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2010
प्रतिलिपि :-

- 1- अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, रामस्त संभागायुक्त, रामस्त विभागाध्यक्ष एवं रामस्त जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश
- 2- निवर्तक, मध्य प्रदेश राज्य न्यायालय, जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इंदौर
सचिव, लोक आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल
- 3- राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्य प्रदेश भोपाल
सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल
- 4- आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश
- 5- मुख्य लेखा अधिकारी, मध्य प्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
- 6- महालेखाकार (लेखा/आडिट) मध्य प्रदेश ग्वालियर/भोपाल
(भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक कार्यालय के पत्र क्रमांक
213/एसी-1/एसपी-1/25-2006 दिनांक 26/05/2010 के संदर्भ में)
- 7- वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
भोपाल ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक उपरोक्त हेतु

(वीरेन्द्र कुमार)

अपर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

R-617-
क्रमांक 747/चार/ब-1/08

भोपाल, दिनांक 15/9/2008

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 467/आर 376/चार/ब-1/2008 दिनांक 21.7.2008 के द्वारा 44-राज्य सहायता (subsidy) का उद्देश्य शीर्ष स्थापित किया गया है।

2. 44-राज सहायता (subsidy) उद्देश्य शीर्ष को गतिशील करने के लिये निम्नानुसार कार्रवाई की जाए:

(I) राज सहायता (subsidy) के अंतर्गत पूर्व में प्रचलित उद्देश्य शीर्ष 42-006 की राशि को उद्देश्य शीर्ष 44-राजसहायता में वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 467/आर 376/चार/ब-1/2008 दिनांक 21.7.2008 से स्थापित संबंधित सुसंगत विस्तृत शीर्षों में अंतरित किया जाये।

(II) बजट नियंत्रण अधिकारी 44-राजसहायता में राशि आवंटित करेंगे तथा इसे आयुक्त कोष एवं लेखा केन्द्रीय कम्प्युटर सर्वर में अंकित करायेंगे, जिसके अनुसार कोषालयों से आहरण किया जायेगा।

(III) तात्कालिक आहरण के उद्देश्य से आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा 44-008 अन्य राज्य सहायता से आहरित राशि को भी राज सहायता के सुसंगत विस्तृत शीर्ष में अंतरित किया जाए।

(IV) बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा महालेखाकार से पुनर्मिलान की प्रक्रिया में इस अंतरण प्रविष्टि द्वारा लेखांकन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(V) वर्ष 2009-10 से बजट में 44-राजसहायता के लिए पृथक्-पृथक् विस्तृत शीर्षों में यथावश्यकतानुसार बजट अनुमानों में राशि का प्रावधान किया जाए।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(अमित राठौर)
संचालक बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.कं. 748 /आर.617 /चार/ब-1 /2008

भोपाल दिनांक 15 /9 /2008

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव मध्य प्रदेश भोपाल
- 2- सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा भोपाल
- 3- शासन के समस्त विभाग
- 4- निबंधक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश इंदौर
सचिव, लोक आयुक्त मध्य प्रदेश भोपाल
- 5- वित्तीय सलाहकार आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- 6- आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल
- 7- संचालक वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली भोपाल
- 8- संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन मध्य प्रदेश भोपाल
- 9- समस्त कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश
- 10- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्य प्रदेश ग्वालियर/भोपाल
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

16

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 779/835/06/चार/ब-1
प्रति,

भोपाल दिनांक 10/10/2006

प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
समस्त विभाग
मंत्रालय

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से प्राप्त आय को जमा करने बाबत ।


सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में दिये गये प्रावधान के अनुसार सूचना/सेम्पल संबंधितों को प्रदाय किये जाने के बदले प्राप्त शुल्क को जमा करने हेतु निम्न लेखा शीर्ष निर्धारित किया जाता है :-

0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें

(60)- अन्य सेवायें

(118)- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्तियां

(1033)-सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जमा राशि


(अदिति कुमार त्रिपाठी)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 780/835/चार/ब-1/06


भोपाल दिनांक 10 अक्टूबर, 2006

प्रतिलिपि:-

- 1- वरिष्ठ लेखा अधिकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर पत्र क्रमांक बुक-11/बजट/सूचना/2006-07/217 दिनांक 12/9/2006 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 2- आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ समस्त कोषालय अधिकारियों को भी सूचित करने का कृपया कष्ट करें ।


अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग



मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 917/आर.704/चार/ब-1/2005
प्रति,

भोपाल दिनांक 8/12/2005

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग भोपाल

विषय:- मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम,2005 के तहत प्राप्त आगम का वर्गीकरण बाबत ।

00

उपरोक्त अधिनियम की धारा 3-उपधारा (2), धारा 4 उपधारा (2) तथा धारा 11-उपधारा (3) के अंतर्गत प्राप्त हो रही राशि को निम्नानुसार जमा किया जावेगा :-

मुख्य लेखा शीर्ष 0853 आलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग-
104-खान विभाग-(1021) ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर से संबंधित राशि-
01-कर की प्राप्ति
02-विलंब के लिए दण्डिक कर
03-जुर्माना

उपरोक्त लेखा शीर्ष का अंग्रेजी संस्करण निम्नानुसार है :-

Major Head 0853- Non-ferrous Mining and Metallurgical
Industries – 104 – Mines Department – (1021) Amounts
Relating to Rural Infrastructure and Rural Development Tax –
01- Tax receipts
02- Penal Tax for delay
03- Fine

उपरोक्त लेखा शीर्ष का उल्लेख वर्ष 2006-2007 के बजट पुस्तिका में आवश्यकमेव किया जायेगा और चूंकि उपरोक्त राशियां इस वर्ष में ही प्राप्त होने की संभावना है,अतः इस निर्देश के माध्यम से राशि को शासकीय कोषालय में जमा करने के लिये व्यवस्था की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(की.एल.कान्ता राव)

संचालक बजट
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक ११४ /आर.704/चार/ब-1/2005

भोपाल दिनांक 8 /12/2005

प्रतिलिपि:-

1-महल्लेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(अंकेक्षण), मध्य प्रदेश ग्वालियर ।

2-आयुक्त,कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि कोषालयीन कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत कम्प्यूटर के सरवर में आवश्यक प्रविष्टियां करने का कष्ट करें तथा समस्त कोषालय/उपकोषालयों को निर्देशित किया जावे कि उपरोक्त लेखा शीर्ष अनुसार चालान प्रस्तुत करने पर शासन के खाते में जमा कराने के लिये सुनिश्चित किया जावे ।

3-समस्त कलेक्टर,मध्य प्रदेश

4- समस्त कोषालय अधिकारी/उपकोषालय अधिकारी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

(की.एल.कान्ता राव)

संचालक बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

21

क्रमांक 841/आर. 755/चार/ब-1/2005

भोपाल, दिनांक 22-11-2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग/
विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/
जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश
.....

विषय:—मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची में संशोधन.

भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा मुख्य तथा लघु शीर्षों में किये गये संशोधन के संबंध में जारी शुद्धि पर्ची क्रमांक 487 से 543 तक की प्रतियां आपकी ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है.

संलग्न :—यथोपरि पृष्ठ 1 से 22 तक



(बी. पी. गोयल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग.

महानियंत्रक लेखा, भारत सरकार द्वारा जारी
शुद्धि पर्ची 487 से 543

मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची हिन्दी संस्करण की शुद्धि पर्ची सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु
भेजी जा रही है।

शुद्धि पर्ची सं. 487
दिनांक 22-1-2004

पृष्ठ सं. 102 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :-2049-ब्याज अदायगियाँ

उप मुख्य शीर्ष:-03-अन्य बचतों भविष्य निधियों आदि पर ब्याज (6)

वर्तमान लघु शीर्ष "111-अन्य जमा तथा लेखों पर ब्याज" के नीचे निम्नलिखित लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:-

115-अन्य बचत जमाओं पर ब्याज

116-अन्य बचत प्रमाण-पत्रों पर ब्याज

(वर्ष 1-4-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:-टी-14018/4/2000-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 488
दिनांक 22-1-2004

पृष्ठ सं. 358 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :-8001-बचत जमा

- (i) वर्तमान मुख्य शीर्ष "8001-बचत प्रमाण-पत्र" के नाम में निम्नलिखित के अनुसार परिवर्तन करें:-
8001-राष्ट्रीय बचत जमा
- (ii) वर्तमान लघु शीर्ष "102-राज्य बचत बैंक जमा (1) को हटा दें:-
- (iii) वर्तमान लघु शीर्ष "103-सावधि तथा मियादि जमा (1) के नाम में निम्नलिखित के अनुसार परिवर्तन करें:-
103-राष्ट्रीय बचत सावधि तथा मियादी जमा (1)

(वर्ष 1-4-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:-टी-14018/14/99-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 358 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)
मुख्य शीर्ष :- 8002-बचत प्रमाण-पत्र

- (i) वर्तमान मुख्य शीर्ष "8002-बचत प्रमाण-पत्र" के नाम में निम्नलिखित के अनुसार परिवर्तन करें:-
8002-राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र
- (ii) इस मुख्य शीर्ष के नीचे दिए गए निम्नलिखित लघु शीर्षों को हटा दें:-
- (क) 102-राज्य बचत प्रमाण-पत्र
(ख) 103-खजाना बचत जमा प्रमाण-पत्र (1)
(ग) 105-बचत प्रमाण-पत्र-बैंक श्रृंखला (1)

(वर्ष 1-4-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:-टी-14018/14/99-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 490
दिनांक 22-1-2004

विषय सूची की सारणी का पृष्ठ संख्या xi (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)
लोक लेखा

1. लघु बचत, भविष्य निधि आदि.

- (क) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि
- (i) मुख्य शीर्ष "8001-जमा बचत" तथा "8002-बचत प्रमाण-पत्र" के नाम में निम्नलिखित के अनुसार परिवर्तन करें:-
8001-राष्ट्रीय जमा बचत
8002-राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र
- (ii) उप-क्षेत्र "(ग) अन्य लेखा" के नीचे उप-क्षेत्र "(घ) अन्य बचत स्कीम" अंतःस्थापित करें:-
- (घ) अन्य बचत स्कीमें
- | | |
|---------------------------|-------|
| 8031-अन्य बचत जमा | 365-क |
| 8032-अन्य बचत प्रमाण-पत्र | 365-ख |

(वर्ष 1-4-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:-टी-14018/14/99-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 365-क (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)
(नया लेखा शीर्ष)

निम्नलिखित नया मुख्य शीर्ष तथा उसके अंतर्गत लघु शीर्ष खोला जाए:—

मुख्य शीर्ष :—8031-अन्य बचत जमा
लघु शीर्ष—102-राज्य बचत बैंक जमा (1)

टिप्पणी:—

- (i) इस लघु शीर्ष के अंतर्गत एक वर्ष, तीन वर्ष तथा पांच वर्ष की सावधि जमा, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्षीय संचयी सावधि जमा लेखे, खजाना बचत बैंक जमा, खजाना सावधि मियादी जमा आदि जैसी समय-समय पर अधिसूचित प्रत्येक प्रकार की जमा को दर्ज करने के लिए अलग उप शीर्ष खोला जाए।

(वर्ष 1-4-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:—टी-14018/14/99-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 492
दिनांक 22-1-2004

पृष्ठ सं. 365-ख (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)
(नया लेखा शीर्ष)

निम्नलिखित नया मुख्य शीर्ष तथा उसके अंतर्गत लघु शीर्ष खोला जाए:—

मुख्य शीर्ष :—8032-अन्य बचत प्रमाण-पत्र
लघु शीर्ष:—102-राज्य बचत प्रमाण-पत्र
103-खजाना बचत जमा प्रमाण-पत्र (1)
105-बचत प्रमाण-पत्र-बैंक श्रृंखला (1)

टिप्पणी:—

- (i) प्रत्येक प्रकार के बचत प्रमाण-पत्रों जैसे विभिन्न मूल्य के नकद प्रमाण-पत्र, बचत प्रमाण-पत्रों आदि के लिए अलग उप-शीर्ष खोले जाएं।

(वर्ष 1-4-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:—टी-14018/14/99-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 370 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :—8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ

दिनांक 10-5-2001 की शुद्धि पर्ची सं. 400 द्वारा खोले गए वर्तमान लघु शीर्ष "122-आपना रात निधि" के नीचे निम्नलिखित नया लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:—

124-मूल स्थिरता निधि

(वर्ष 2003-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:—टी-14018/14/2000-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 496
दिनांक 24-2-2004

पृष्ठ सं. 90 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :—2020-आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण (1)

विद्यमान लघु शीर्ष "109-अग्रिम विनिर्णयों के लिए प्राधिकार" के नीचे निम्नलिखित नया लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:—

110-इक्लेट्रॉनिक समाशोधन सेवा के माध्यम से वापसियों पर सेवा प्रभार

(वर्ष 2003-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:—टी-14018/6/2000-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 500
दिनांक 20-4-2004

पृष्ठ सं. 81-82 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :—1606-सहायता सामग्री तथा उपस्कर (1)

दिनांक 21-5-2001 की शुद्धि पर्ची संख्या 401 के द्वारा खोले गए लघु शीर्ष "249-अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), यू. के. ब्रिटेन से सहायता" के नीचे निम्नलिखित नया लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:—

250-विश्व औषध सुविधा से सहायता

251-एड्स, क्षयरोग और मलेरिया के उन्मूलन के लिए विश्व निधि से सहायता

(वर्ष 2003-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:—टी-14018/9/2000-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 230-232 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :- 3606-सहायता सामग्री तथा उपस्कर (1)

दिनांक 21-5-2001 की शुद्धि पर्ची संख्या 402 के द्वारा खोले गए लघु शीर्ष "249-अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), यू. के. से सहायता" के नीचे निम्नलिखित नया लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:-

250-विश्व औषध सुविधा से सहायता

251-एड्स, क्षयरोग और मलेरिया के उन्मूलन के लिए विश्व निधि से सहायता

(वर्ष 2003-2004 से प्रभावी)

(प्राधिकार:-टी-14018/9/2000-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 502
दिनांक 27-4-2004

पृष्ठ सं. 77 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

ग-सहायता अनुदान तथा अंशदान

मुख्य शीर्ष :- 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान

उप मुख्य शीर्ष:-02-राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान

विद्यमान लघु शीर्ष "104-संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान" के नीचे निम्नलिखित नया लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:-

105-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान

(वर्ष 2000-2001 से प्रभावी)

(प्राधिकार:-टी-14018/9/2000-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 503
दिनांक 27-4-2004

पृष्ठ सं. 227 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :- 3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान (1) (3)

उप मुख्य शीर्ष:-02-संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान

विद्यमान लघु शीर्ष "103-वस्तु रूप में प्राप्त बाह्य सहायता के लिए अनुदान" के पश्चात् निम्नलिखित नया लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:-

105-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान

(वर्ष 2000-2001 से प्रभावी)

(प्राधिकार:-टी-14018/9/2000-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 53-क (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

(नया लेखा शीर्ष)

इसके अंतर्गत निम्नलिखित नया मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष और लघु शीर्षों को खोला जाए:—

<u>मुख्य शीर्ष</u>	<u>उप मुख्य शीर्ष</u>	<u>लघु शीर्ष</u>
0700-मुख्य सिंचाई	प्रत्येक वाणिज्यिक परियोजना के लिए एक उप मुख्य शीर्ष होगा	101-सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री 102-घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री 103-अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री 104-नहर बागानों से विक्रय आगम 105-नौपरिवहन प्राप्तियां 106-जल विद्युत् शक्ति 107-कर्मशाला (वर्कशाप) प्राप्तियां 108-अप्रत्यक्ष प्राप्तियां (1) 109-स्वामित्व दर 110-अन्य मर्दें 800-अन्य प्राप्तियां (2)
	प्रत्येक अवाणिज्यिक परियोजना के लिए एक उप मुख्य शीर्ष होगा	101-सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री 102-घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री 103-अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री 104-नहर बागानों से विक्रय आगम 105-नौपरिवहन प्राप्तियां 106-जल विद्युत् शक्ति 107-कर्मशाला (वर्कशाप) प्राप्तियां 108-अप्रत्यक्ष प्राप्तियां (1) 109-स्वामित्व दर 110-अन्य मर्दें 800-अन्य प्राप्तियां (2)
	80-सामान्य	800-अन्य प्राप्तियां

टिप्पणियाँ:—

- (1) इसमें सिंचाई कार्यों, बेहतर उद्ग्रहण और सिंचाई उपकरण के कारण भू-राजस्व का भाग शामिल है।
- (2) इसमें भवन, फर्नीचर आदि के किराए तथा नहर नियमों के अतिक्रमण के लिए अर्थदंड के कारण प्राप्तियां शामिल हैं।

(दिनांक 1-4-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:—टी-14018/29/95-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 54 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

(नया लेखा शीर्ष)

<u>मुख्य शीर्ष</u>	<u>उप मुख्य शीर्ष</u>	<u>लघु शीर्ष</u>
0701-मुख्य सिंचाई	प्रत्येक वाणिज्यिक परियोजना के लिए एक उप मुख्य शीर्ष होगा	

प्रत्येक अवाणिज्यिक
परियोजना के लिए
एक उप मुख्य शीर्ष
होगा

80-सामान्य

- 101-सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री
- 102-घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री
- 103-अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री
- 104-नहर बागानों से विक्रय आगम
- 105-नौपरिवहन प्राप्तियां
- 106-जल विद्युत् शक्ति
- 107-कर्मशाला (वर्कशाप) प्राप्तियां
- 108-अप्रत्यक्ष प्राप्तियां (1)
- 109-स्वामित्व दर
- 110-अन्य मदें
- 800-अन्य प्राप्तियां (2)

- 101-सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री
- 102-घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री
- 103-अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री
- 104-नहर बागानों से विक्रय आगम
- 105-नौपरिवहन प्राप्तियां
- 106-जल विद्युत् शक्ति
- 107-कर्मशाला (वर्कशाप) प्राप्तियां
- 108-अप्रत्यक्ष प्राप्तियां (1)
- 109-स्वामित्व दर
- 110-अन्य मदें
- 800-अन्य प्राप्तियां (2)

800-अन्य प्राप्तियां

टिप्पणियाँ:-

- (1) इसमें सिंचाई कार्यों, बेहतर उद्ग्रहण और सिंचाई उपकरण के कारण भू-राजस्व का भाग शामिल है।
- (2) इसमें भवन, फर्नीचर आदि के किराए तथा नहर नियमों के अतिक्रमण के लिए अर्थदंड के कारण प्राप्तियां शामिल हैं।

(दिनांक 1-4-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:-टी-14018/29/95-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 169-क (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

(नया लेखा शीर्ष)

इसके नीचे निम्नलिखित नया मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्षों और लघु शीर्षों को खोला जाए:—

मुख्य शीर्ष :— 2700-मुख्य सिंचाई
(नया मुख्य शीर्ष)

उप मुख्य शीर्ष :— प्रत्येक वाणिज्यिक परियोजना के लिए एक उप मुख्य शीर्ष होगा

लघु शीर्ष:— 001-निदेशन तथा प्रशासन
052-मशीनरी तथा उपस्कर
101-रख-रखाव और मरम्मत (1)
799-उच्चत
800-अन्य व्यय (2)

उप मुख्य शीर्ष :— प्रत्येक अवाणिज्यिक परियोजना एक उप मुख्य शीर्ष होगी

लघु शीर्ष:— 001-निदेशन तथा प्रशासन
052-मशीनरी तथा उपस्कर
101-रख-रखाव और मरम्मत (1)
799-उच्चत
800-अन्य व्यय (2)

उप मुख्य शीर्ष:— 80-सामान्य (3)

लघु शीर्ष :— 001-निदेशन तथा प्रशासन (4)
002-आंकड़ा संग्रहण
003-प्रशिक्षण
004-अनुसंधान
005-सर्वेक्षण
006-परामर्शदात्री
052-मशीनरी तथा उपस्कर
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
799-उच्चत
800-अन्य व्यय
901-घटाएँ सामान्य कार्यों के लिए अन्य सरकारों तथा अभिकरणों से वसूली गई राशि

टिप्पणियाँ:—

1. इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में उप-विभाजित किया जाएगा:—

- (i) कार्य प्रभारित स्थापना
- (ii) अन्य रख-रखाव व्यय

2. इस लघु शीर्ष में पूंजी पर ब्याज और विस्तार तथा सुधारों पर व्यय शामिल होगा.

1. उप मुख्य शीर्ष "80-सामान्य" के नीचे लघु शीर्ष 'निदेशन तथा प्रशासन' के अंतर्गत निम्नलिखित व्यय दर्ज करने के लिए तीन उप शीर्ष खोले जा सकते हैं:—

(i) इस मुख्य शीर्ष या तदनरूपी पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उप मुख्य शीर्षों में से किसी एक से अनन्य रूप से असंबद्ध सामान्य स्थापना पर व्यय.

(ii) विभिन्न उप मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष के रूप में खोली गई किसी विशेष परियोजना से असंबद्ध सामान्य स्थापना पर व्यय.

(iii) सिंचाई, नौचालन, तटबंध तथा जल निकास कार्यों से संबंधित सामान्य योजना तथा अनुसंधान पर व्यय.

4. इसमें क्षेत्रीय समन्वय भी शामिल होगा.

(दिनांक 1-4-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:—टी-14018/29/95-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 509
दिनांक 13-5-2004

पृष्ठ सं. 170-171 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

इस मुख्य शीर्ष को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:—

मुख्य शीर्ष :— 2701-मध्यम सिंचाई

उप मुख्य शीर्ष :— प्रत्येक वाणिज्यिक परियोजना के लिए एक उप मुख्य शीर्ष होगा

लघु शीर्ष:— 001-निदेशन तथा प्रशासन
052-मशीनरी तथा उपस्कर
101-रख-रखाव और मरम्मत (1)
799-उच्चंत
800-अन्य व्यय (2)

उप मुख्य शीर्ष :— प्रत्येक अवाणिज्यिक परियोजना के लिए एक उप मुख्य शीर्ष होगा (3)

लघु शीर्ष:— 001 निदेशन तथा प्रशासन
052-मशीनरी तथा उपस्कर
101-रख-रखाव और मरम्मत (1)
799-उच्चंत
800-अन्य व्यय (2)

उप मुख्य शीर्ष:— 80-सामान्य (3)

- लघु शीर्ष :- 001-निर्देशन तथा प्रशासन (4)
 002-आंकड़ा संग्रहण
 003-प्रशिक्षण
 004-अनुसंधान
 005-सर्वेक्षण तथा अन्वेषण
 006-परामर्शदात्री
 052-मशीनरी तथा उपस्कर
 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निदेश
 799-उच्चत
 800-अन्य व्यय
 901-घटाएं सामान्य कार्यों के लिए अन्य सरकारों तथा अधिकारणों से वसूली गई राशि

टिप्पणियाँ:-

1. इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में उप-विभाजित किया जाएगा:-
 - (i) कार्य प्रभारित स्थापना
 - (ii) अन्य रख-रखाव व्यय
2. इस लघु शीर्ष में पूंजी पर ब्याज और विस्तार तथा सुधारों पर व्यय शामिल होगा.
3. उप मुख्य शीर्ष "80-सामान्य" के नीचे लघु शीर्ष 'निर्देशन तथा प्रशासन' के अंतर्गत निम्नलिखित व्यय दर्ज करने के लिए तीन उप शीर्ष खोले जा सकते हैं:-
 - (i) इस मुख्य शीर्ष या तद्नरूपी पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उप मुख्य शीर्षों में से किसी एक से अनन्य रूप से असंबद्ध सामान्य स्थापना पर व्यय.
 - (ii) विभिन्न उप मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष के रूप में खोली गई किसी विशेष परियोजना से असंबद्ध सामान्य स्थापना पर व्यय.
 - (iii) सिंचाई, नौचालन, तटबंध तथा जल निकास कार्यों से संबंधित सामान्य योजना तथा अनुसंधान पर व्यय.
4. इसमें क्षेत्रीय समन्वय भी शामिल होगा.

(दिनांक 1-4-2004 से प्रभावी)
 (प्राधिकार:-टी-14018/29/95-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
 वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 172 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :- 2702-लघु सिंचाई

(i) विद्यमान उप मुख्य शीर्ष 02-भू-जल के बाद निम्नलिखित उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:-

उप मुख्य शीर्ष:-

03-रख-रखाव

101-जल टंकी (2)

102-उत्थान सिंचाई योजनाएं (2)

103-जलकूप (2)

(ii) इस मुख्य शीर्ष के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी (?) जोड़ी जाए:-

(2) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप-शीर्षों में विभाजित किया जाए

(क) कार्य प्रभारित स्थापना

(ख) अन्य रख-रखाव व्यय

(iii) इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उप मुख्य शीर्ष '01-सतही जल' के नीचे लघु शीर्ष '101-जलटंकी' और '102-उत्थान सिंचाई योजनाएं' और उप मुख्य शीर्ष '02-भू-जल' के नीचे '103-नलकूप' को हटा दें.

(दिनांक 1-4-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:-टी-14018/29/95-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 511
दिनांक 12-5-2004

पृष्ठ सं. 265-क (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

(नया लेखा शीर्ष)

इसके अंतर्गत निम्नलिखित नया मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्षों और लघु शीर्षों को खोला जाए:-

विद्यमान मुख्य शीर्ष तथा उसके अंतर्गत उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्षों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करें:-

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (1)	प्रत्येक वाणिज्यिक परियोजना के लिए एक उप मुख्य शीर्ष होगा (3)	

001-निदेशन तथा प्रशासन
052-मशीनरी तथा उपस्कर

799-उचंत
800-अन्य व्यय (2)

प्रत्येक अवाणिज्यिक
परियोजना के लिए
एक उप मुख्य शीर्ष
होगा (3)

001-निदेशन तथा प्रशासन
052-मशीनरी तथा उपस्कर
799-उचंत
800-अन्य व्यय (2)

80-सामान्य

001-निदेशन तथा प्रशासन
002-आंकड़ा संग्रहण
003-प्रशिक्षण
004-अनुसंधान
005-सर्वेक्षण तथा अन्वेषण
052-मशीनरी तथा उपस्कर
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
799-उचंत
800-अन्य व्यय (2)

टिप्पणियाँ:—

1. मुख्य शीर्ष "2700-मुख्य सिंचाई" के अधीन दी गई टिप्पणी (3) देखें.
2. मुख्य शीर्ष "2700-मुख्य सिंचाई" के अधीन दी गई टिप्पणी (2) देखें.

(3) (क) सिंचाई परियोजना के लिए उप शीर्ष "जलाशय" बांध तथा उपाबंधी कार्य, 'अधिप्लवन मार्ग', 'बांध, बंधारा, 'भवन', 'नहर', शाखाएं, वितरक, जलमार्ग, होंगे. इसके अतिरिक्त "सामान्य कार्य के लिए अन्य सरकारों द्वारा एजेंसियों को अग्रिम" तथा घटाए-सामान्य कार्य के लिए अन्य सरकारों या एजेंसियों से वसूल किया गया अग्रिम, नाम वाले उप शीर्ष जहां कहीं आवश्यक हों, खोले जा सकते हैं.

(ख) नौ-परिवहन योजनाओं के लिए उप शीर्ष अंतःसंबद्ध नहरें, बांध, घाट, घाट तथा पोतघात, तलकषण (ड्रेजिंग) तथा भवन होंगे.

(दिनांक 1-4-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:—टी-14018/29/95-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 266 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

विद्यमान मुख्य शीर्ष तथा उसके अंतर्गत उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्षों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करें:-

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष
4701-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (1)	प्रत्येक वाणिज्यिक परियोजना के लिए एक उप मुख्य शीर्ष होगा (3)	001-निदेशन तथा प्रशासन 052-मशीनरी तथा उपस्कर 799-उच्चत 800-अन्य व्यय (2)
	प्रत्येक अवाणिज्यिक परियोजना के लिए एक उप मुख्य शीर्ष होगा (3)	001-निदेशन तथा प्रशासन 052-मशीनरी तथा उपस्कर 799-उच्चत 800-अन्य व्यय (2)
	80-सामान्य	001-निदेशन तथा प्रशासन 002-आंकड़ा संग्रहण 003-प्रशिक्षण 004-अनुसंधान 005-सर्वेक्षण तथा अन्वेषण 052-मशीनरी तथा उपस्कर 199-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 799-उच्चत 800-अन्य व्यय (2)

टिप्पणियाँ:-

2. मुख्य शीर्ष "2701-मुख्य सिंचाई" के अधीन दी गई टिप्पणी (3) देखें.
3. मुख्य शीर्ष "2701-मध्यम सिंचाई" के अधीन दी गई टिप्पणी (2) देखें.
- (3) (क) सिंचाई परियोजना के लिए उप शीर्ष "जलाशय" बांध तथा उपाबंधी कार्य, 'अधिप्लवन मार्ग', 'बांध, बंधारा, 'भयन', 'नहर', शाखाएं, वितरक, जलमार्ग, होंगे. इसके अतिरिक्त "सामान्य कार्य के लिए अन्य सरकारों द्वारा एजेंसियों को अग्रिम" तथा घटाए-सामान्य कार्य के लिए अन्य सरकारों या एजेंसियों से वर्रूल किया गया अग्रिम, नाम वाले उप शीर्ष जहां कहीं आवश्यक हों, खोले जा सकते हैं.
- (ख) नौ-परिवहन योजनाओं के लिए उप शीर्ष अंतःसंबद्ध नहरें, बांध, घाट, घाट तथा पोतघात, तलकर्वण (ड्रेजिंग) तथा भवन होंगे.

(दिनांक 1-4-2004 से प्रभावी)
(प्राधिकार:-टी-14018/29/95-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 3.32-क (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)
(नया लेखा शीर्ष)

इसके अंतर्गत निम्नलिखित नया मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष और लघु शीर्ष खोले जाए

<u>मुख्य शीर्ष</u>	<u>उप मुख्य शीर्ष</u>	<u>लघु शीर्ष</u>
6700-मुख्य सिंचाई के लिए कर्ज	प्रत्येक वाणिज्यिक परियोजना के लिए एक उप मुख्य शीर्ष होगा प्रत्येक अवाणिज्यिक परियोजना के लिए एक मुख्य शीर्ष होगा	60-अन्य 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज 800-अन्य कर्ज
	(दिनांक 1-4-2004 से प्रभावी) (प्राधिकार:- टी-14018/29/95-कोड्स)	
		हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 514

दिनांक 13-5-2004

पृष्ठ सं. 332-क (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :-6701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई के लिए कर्ज

विद्यमान मुख्य शीर्ष तथा उसके अंतर्गत उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्षों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करें:-

<u>मुख्य शीर्ष</u>	<u>उप मुख्य शीर्ष</u>	<u>लघु शीर्ष</u>
6701-मध्यम सिंचाई के लिए कर्ज	प्रत्येक वाणिज्यिक परियोजना के लिए एक उप मुख्य शीर्ष होगा प्रत्येक अवाणिज्यिक परियोजना के लिए एक मुख्य शीर्ष होगा	60-अन्य 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज 800-अन्य कर्ज
	(दिनांक 1-4-2004 से प्रभावी) (प्राधिकार:- टी-14018/29/95-कोड्स)	
		हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

विषय सूची की पृष्ठ सं. (ii), (v), (viii) तथा (x) (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

I. क्षेत्र :- ख-करेतर राजस्व

उप क्षेत्र :- (ग) अन्य करेतर राजस्व

(iii) आर्थिक सेवाएं

(i) विद्यमान मुख्य शीर्ष "0701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई" की नामावली को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करें:-

0701-मध्यम सिंचाई 54

(ii) उपर्युक्त मुख्य शीर्ष अर्थात् "0701-मध्यम सिंचाई" के पहले निम्नलिखित नया मुख्य शीर्ष अंतः स्थापित करें:-

0700-मुख्य सिंचाई 53-क

II. क्षेत्र :- ग-आर्थिक सेवाएं

उप क्षेत्र :- (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण

(i) विद्यमान मुख्य शीर्ष "2701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई" की नामावली को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करें:-

0701-मध्यम सिंचाई 170

(ii) उपर्युक्त मुख्य शीर्ष अर्थात् "2701-मध्यम सिंचाई" के पहले निम्नलिखित नया मुख्य शीर्ष अंतः स्थापित करें:-

2700-मुख्य सिंचाई 169-क

III. क्षेत्र :- ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा

उप क्षेत्र :- (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा

(i) विद्यमान मुख्य शीर्ष "4701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत लगात" की नामावली को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करें:-

4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 266

(iii) उपर्युक्त मुख्य शीर्ष अर्थात् "4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय" से पहले निम्नलिखित नया मुख्य शीर्ष अंतः स्थापित करें:-

4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 265-क

IV क्षेत्र :- च-कर्ज तथा उधार

(i) विद्यमान मुख्य शीर्ष "6701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई के लिए कर्ज" की नामावली को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करें:-

6701-मध्यम सिंचाई के लिए कर्ज 332

(ii) उपर्युक्त मुख्य शीर्ष अर्थात् "6701-मध्यम सिंचाई के लिए कर्ज" से पहले निम्नलिखित नया मुख्य शीर्ष अंतः स्थापित करें:-

6700-मुख्य सिंचाई के लिए कर्ज 332-क

(दिनांक 1-4-2004 से प्रभावी)

(प्राधिकार:- टी-14018/29/95-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 379 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :-8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां

लघु शीर्ष "117-गारंटी मोचन निधि" के नीचे निम्नलिखित नया लघु अंतः स्थापित करें:-

118-विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि

(दिनांक 1-4-2004 से प्रभावी)

(प्राधिकार:- टी-14018/29/95-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 526

दिनांक 27-9-2004

पृष्ठ सं. 100-104 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :-2049 : ब्याज अदायगियां

उप मुख्य शीर्ष : अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज (6)

(i) लघु शीर्ष "115-अन्य बचत जमाओं पर ब्याज" और "116-" अन्य बचत प्रमाण-पत्रों पर ब्याज" (दिनांक 22-1-2004 की शुद्धि पर्ची सं. 487 द्वारा खोले गए) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें:-

115-अन्य बचत जमाओं पर ब्याज (12)

118-अन्य बचत प्रमाण-पत्रों पर ब्याज (12)

(ii) इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत विद्यमान टिप्पणी (11) के पश्चात् निम्नलिखित पाद टिप्पणी (12) अंतः स्थापित करें:-

(12) लघु शीर्ष "115-अन्य बचत जमाओं पर ब्याज और " 116-अन्य बचत प्रमाण-पत्रों पर ब्याज" राज्य सरकारों से संबंधित लेन-देनों के लिये बनाए गए हैं.

(दिनांक 1-4-2004 से प्रभावी)

(प्राधिकार:- टी-14018/29/95-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 527

दिनांक 27-9-2004

पृष्ठ सं. 365 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :-8031-अन्य बचत जमा

इस मुख्य शीर्ष (दिनांक 22-1-2004 की शुद्धि पर्ची संख्या 491 द्वारा खोले गए) के नीचे दी गई टिप्पणी (1) की प्रथम पंक्ति में "अन्तर्गत" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े:-

राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे.

(दिनांक 1-4-2000 से प्रभावी)

(प्राधिकार:- टी-14018/14/99-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 528
दिनांक 27-9-2004

पृष्ठ सं. 365-ख (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :—8032-अन्य बचत प्रमाण-पत्र

इस मुख्य शीर्ष (दिनांक 22-1-2004 की शुद्धि पर्ची संख्या 492 द्वारा खोले गए) के नीचे दी गई टिप्पणी (1) की प्रथम पंक्ति में "प्रत्येक" शब्द से पहले निम्नलिखित शब्द जोड़े:—

राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे.

(दिनांक 1-4-2000 से प्रभावी)

(प्राधिकार:— टी-14018/14/99-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 530

दिनांक 7-12-2004

पृष्ठ सं. 1 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :—0020-निगम कर

वर्तमान लघु शीर्ष "500-वे प्राप्तियां जिनका अन्य लघु शीर्षों में अंतरण किया जाना है (5)" के नीचे निम्नलिखित लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:—

504-शिक्षा उपकर

(दिनांक 2003-2004 से प्रभावी)

(प्राधिकार:— टी-14018/3/2000-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 531

दिनांक 7-12-2004

पृष्ठ सं. 3 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :—0021-आय पर निगम कर से भिन्न कर

वर्तमान लघु शीर्ष "500-वे प्राप्तियां जिनका अन्य लघु शीर्षों में अंतरण किया जाना है (7)" के नीचे निम्नलिखित नया लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:—

504-शिक्षा उपकर

(दिनांक 2003-2004 से प्रभावी)

(प्राधिकार:— टी-14018/3/2000-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 11 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :- 0037-सीमा शुल्क (1)

दिनांक 11-5-2004 की शुद्धि पर्ची संख्या 504 द्वारा खोले गए) लघु शीर्ष "109-चाय अपशिष्ट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क" के बाद निम्नलिखित नया लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:-

504-शिक्षा उपकर

(दिनांक 2004-2005 से प्रभावी)
(प्राधिकार:- टी-14018/3/2000-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 533
दिनांक 7-12-2004

पृष्ठ सं. 13 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :- 0021-आय पर निगम कर से भिन्न कर

उप मुख्य शीर्ष : 02-गैर शैयर करने योग्य शुल्क

(i) दिनांक 11-5-2004 की शुद्धि पर्ची संख्या 505 द्वारा खोले गए) लघु शीर्ष "110-चाय तथा चाय अपशिष्ट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (10)" के बाद इस शीर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित नया लघु शीर्ष खोला जाए:-

504-शिक्षा उपकर

(दिनांक 2004-2005 से प्रभावी)
(प्राधिकार:- टी-14018/3/2000-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 534
दिनांक 7-12-2004

पृष्ठ सं. 17 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :- 0044-सेवा कर

इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत विद्यमान टिप्पणी "प्रत्येक सेवा कर के लिये लघु शीर्षों को आवश्यकतानुसार खोला जाए (1)" के नीचे निम्नलिखित नया लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:-

504-शिक्षा उपकर

(दिनांक 2004-2005 से प्रभावी)
(प्राधिकार:- टी-14018/3/2000-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 136-137 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्षः—2216-आवास (1)

(i) इस मुख्य शीर्ष के नीचे विद्यमान उप मुख्य शीर्ष "04-बम्बई भवन मरम्मत तथा पुनर्निर्माण योजना (4)" के पश्चात् उसके अन्तर्गत निम्नलिखित उप मुख्य शीर्ष और लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:—

<u>उप मुख्य शीर्ष</u>	<u>लघु शीर्ष</u>
05-साधारण पूल आवास	001-निदेशक और प्रशासन 052-मशीनरी तथा उपस्कर 053-रख-रखाव तथा मरम्मत (5) 799-उचंत 800-अन्य व्यय (6)
06-पुलिस आवास	001-निदेशक और प्रशासन 052-मशीनरी तथा उपस्कर 053-रख-रखाव तथा मरम्मत (5) 799-उचंत 800-अन्य व्यय (6)
07-अन्य आवास	001-निदेशक और प्रशासन 052-मशीनरी तथा उपस्कर 053-रख-रखाव तथा मरम्मत (5) 799-उचंत 800-अन्य व्यय (6)

(i) इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत पाद टिप्पणी (4) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी (5) और (6) जोड़े:—

(5) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप-शीर्षों में विभाजित किया जाए:—

- (क) कार्य प्रभारित स्थापना
- (ख) अन्य रख-रखाव व्यय

(6) इस लघु शीर्ष के निम्नलिखित उप शीर्ष होंगे:—

- (क) निर्माण
- (ख) साज-सामान
- (ग) पट्टा प्रभार
- (घ) सम्पदा प्रबंधन

(ii) उप मुख्य शीर्ष "01-सरकारी रिहायशी भवन" और इसके अन्तर्गत दिए गए सभी लघु शीर्ष इस मुख्य शीर्ष के नीचे दी गई टिप्पणी (2) सहित हटा दें.

(वर्ष 2005-2006 से प्रभावी)
(प्राधिकार:—टी-14018/29/95-फोड्स)

हस्ता/-

(**बृज मोहन**)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 110 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :-2059-लोक निर्माण कार्य (1)

टिप्पणी-1 (ग)

चौथी पंक्ति में 'लोक निर्माण विभाग', शब्द से पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित करें:-

"भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित कार्य को छोड़कर"

(दिनांक 2003-2004 से प्रभावी)

(प्राधिकार:- टी-14018/10/99-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 537

दिनांक 30-12-2004

पृष्ठ सं. 244 ((पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष :-04-कला तथा संस्कृति

लघु शीर्ष "106-संग्रहालय (1)" के नीचे निम्नलिखित नया लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:-

107-भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

(दिनांक 2003-2004 से प्रभावी)

(प्राधिकार:- टी-14018/10/99-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 541

दिनांक 30-12-2004

पृष्ठ सं. 370 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :-6121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां

दिनांक 3-2-2004 को शुद्धि पर्ची सं. 495 द्वारा खोले गये वर्तमान लघु शीर्ष "124-मूल स्थिरीकरण निधि" के अंतर्गत निम्नलिखित नया लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:-

125-औषध अनुसंधान और विकास सहायता निधि

(दिनांक 2003-2004 से प्रभावी)

(प्राधिकार:- टी-14018/14/99-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

पृष्ठ सं. 21-22 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :-0049-ब्याज प्राप्तियां

उप मुख्य शीर्ष:-03-केन्द्र सरकार की अन्य ब्याज प्राप्तियां (2) (6)

(i) वर्तमान लघु शीर्ष "111-विदेशी सरकारों को दिया गया अग्रिमों से ब्याज" के नीचे निम्नलिखित नया लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:-

112-बाजार स्थिरीकरण स्कीम से उद्भूत ब्याज/प्रीमियम (1)

(ii) इस मुख्य शीर्ष के नीचे वर्तमान पाद टिप्पणी (9) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी (10) अंतःस्थापित करें:-

(10) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप-शीर्षों में विभाजित करें:-

(क) ब्याज

(ख) प्रीमियम

(दिनांक 2004-2005 से प्रभावी)

(प्राधिकार:- टी-14018/15/99-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

शुद्धि पर्ची सं. 543

दिनांक 20-1-2005

पृष्ठ सं. 100-104 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष :-2049-ब्याज अदायगियां

उप मुख्य शीर्ष:-01-आंतरिक ऋण पर ब्याज

(i) वर्तमान लघु शीर्ष "123-राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज" के नीचे निम्नलिखित नया लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें:-

124-बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अन्तर्गत बैंक में जमा धनराशि पर अदा किया गया ब्याज/बट्टा (13)

(ii) इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 27-9-2004 की शुद्धि पर्ची सं. 526 द्वारा खोली गई वर्तमान पाद टिप्पणी (12) के पश्चात् निम्नलिखित नई टिप्पणी (13) अंतःस्थापित करें:-

(13) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप-शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:-

(क) ब्याज

(ख) अनुमत बट्टा

(दिनांक 2004-2005 से प्रभावी)

(प्राधिकार:- टी-14018/15/99-कोड्स)

हस्ता./-

(बृज मोहन)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)



मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 483 /आर.373/2005/चार/ब-1
प्रति,

भोपाल दिनांक 30/05/2005

प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त आयुक्त/जिलाध्यक्ष
मध्य प्रदेश

विषय:- शासकीय कर्मचारी अंशदान पेंशन योजना से संबंधित लेन देन का वर्गीकरण ।

00

“झ. अल्प बचतें, भविष्य निधि, आदि (ग) अन्य लेखे 8011 बीमा तथा पेंशन निधियां (106) अन्य बीमा तथा पेंशन निधि (0004) शासकीय कर्मचारी अंशदान पेंशन योजना 2005” के अंतर्गत विषयांकित लेनदेन को वर्गीकृत किया जावेगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(व्ही.एल.कान्ता राव)

संचालक बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल दिनांक 30/05/2005

पृ.क्र. 484/आर.373/2005/चार/ब-1

प्रतिलिपि:-

- 1-महामहिम राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश
- 2-महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
- 3-अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर
- 4- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल
- 5-समस्त कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश
- 6-प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), एवं (लेखा परीक्षा), मध्य प्रदेश, ग्वालियर
- 7- समस्त उप सचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(व्ही.एल.कान्ता राव)

संचालक बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1235 /1587/चार/ब-1/2001

भोपाल दिनांक 3 अक्टूबर, 2001

प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त आयुक्त/ जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश

विषय:- अवकाश नगदीकरण व्यय का वर्गीकरण ।

मुख्य एवं लघुशीर्षों की सूची में जारी शुद्धि पर्ची क्रमांक 354 [प्रति संलग्न] के अनुसार सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति के समय प्रदाय किये जाने वाले छुट्टी नकदीकरण का लाभ मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के अंतर्गत लघु शीर्ष 115-छुट्टी नकदीकरण हितलाभ के अंतर्गत किया जाना है । यह शुद्धि पर्ची अत्यधिक विलम्ब से प्राप्त होने से और वित्तीय वर्ष के मध्य यह परिवर्तन करने से उत्पन्न विभिन्न कठिनाईयों को दृष्टिगत रखकर यह निर्णय लिया जाता है कि दिनांक 1-4-2002 से सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति के समय प्रदाय किये जाने वाले छुट्टी नकदीकरण का लाभ से संबंधित व्यय को मांग संख्या 06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय-मुख्य लेखा शीर्ष 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-115-छुट्टी नकदीकरण हितलाभ के अंतर्गत वर्गीकृत-01-वेतन-00-अन्य भत्ते के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाय । दिनांक 1-4-2002 से विभाग के सेवा शीर्ष के अंतर्गत जो वर्तमान में वर्गीकृत किया जाता है को समाप्त माना जावेगा ।

प्रत्येक वर्ष वित्त विभाग को पृथक से विवरण भेजा जावेगा कि प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अधीन कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जो प्रत्येक अप्रैल से आगामी मार्च तक सेवानिवृत्त होने की संभावना है का नाम, संख्या एवं अवकाश नगदीकरण पर संभावित व्यय की जानकारी दी जाय ताकि समुचित प्रावधान किया जा सकेगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

[दीपक खंडेकर]

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

- 1 अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर
- 2 निबंधक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इंदौर
सचिव, लोक आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल
- 3 राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्य प्रदेश, भोपाल,
सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल
- 4 मुख्य लेखा अधिकारी, मध्य प्रदेश मंत्रालय भोपाल ।
- 5 महालेखाकार [लेखा/आडिट] मध्य प्रदेश, ग्वालियर/ भोपाल
- 6 समस्त कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश
- 7 वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल

अवर सचिव 3/10/01
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठ संख्या : 154 (हिन्दी संस्करण)
मुख्य शीर्ष : 2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ

(i) उप मुख्य शीर्ष 01 सिविल :

दिनांक 18-10-93 की शुद्धि पर्ची संख्या 230 द्वारा अंतःस्थापित किए गए लघु शीर्ष 114-भारत के राष्ट्रपति को पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति "हितलाभ" के नीचे निम्नलिखित लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें—

115— छुट्टी नकदीकरण हितलाभ (12) :

(ii) उप मुख्य शीर्ष 02 रक्षा :

लघु शीर्ष 101 थल सेना (9)
102 नौसेना (9)
103 वायु सेवा (9)

(क) टिप्पणी (9) में विद्यमान उप शीर्ष (ii) "पुरस्कार" के नीचे निम्नलिखित लघु शीर्ष अंतःस्थापित करें—

(iii) छुट्टी नकदीकरण हितलाभ (12)

(ख) विद्यमान उप शीर्ष (iii) को (4) के रूप में संख्यांकित करें.

(iii) इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित की टिप्पणी (12) के रूप में अंतःस्थापित करें —

(12) इसमें सेवानिवृत्ति सेवा समाप्ति इत्यादि के समय प्रदाय किये जाने वाले छुट्टी नकदीकरण हितलाभों का रिकार्ड रखा जाएगा.

(यह वर्ष 1998-99 से प्रभावी है)

(प्राधिकार-टी-14018/6/98/कोइस)

हस्ता./-

(एस. आर. गुप्ता)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी.



40

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1111 /1448/चार/ब-1/2000

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त, 2000


प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग

समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- प्रमुख एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची में संशोधन ।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि मुख्य लेखा शीर्ष "8005-राज्य भविष्य निधि" को अब मुख्य लेखा शीर्ष "8009-राज्य भविष्य निधि" के रूप में वर्गीकृत किया जाय । अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।



[आर. एन. पंचौरी]

अवर सचिव


मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ० क्रमांक 1112 /1448/चार/ब-1/2000

भोपाल दिनांक 7 अगस्त, 2000

प्रतिलिपि:-

- 1 महामहिम राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश
 - 2 महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर.
 - 3 अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
 - 4 सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल
 - 5 समस्त कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश
 - 6 प्रधान महालेखाकार [लेखा एवं हकदारी], मध्य प्रदेश ग्वालियर
 - 7 समस्त उप सचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



[आर. एन. पंचौरी]

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

शाकेमुभा-सी/75-वि.वि-7-8-2000-700,

